5253/17 /– रूपये

क्रमांक : A 3025

उपहार विलेख

वांछित विवरण

1. सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन – 22,97,000/– रूपये
2. कुल स्टाम्प जो दिया गया – 23,250/– रूपये
3. प्रमुख क्षेत्र – मौजा चन्द्रबनी खालसा, देहरादून।
4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 164.17 वर्गमीटर।
5. निर्मित क्षेत्रफल– 94 वर्गमीटर।
6. सम्पत्ति का प्रकार– आवासीय सम्पत्ति।
7. सर्किल रेट के पृष्ठ एवं कम सं0 – पृष्ठ सं0 28, कम सं0 7 (3)
8. प्रमुख मार्ग से दूरी– सहारनपुर रोड़ से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

9- उपहारदाता/प्रथमपक्ष का नाम–श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 श्री रविन्द्र सिंह निवासी–ग्राम चन्द्रबनी खालसा देहरादून।
उपहारदाता का पहचान पत्र सं0 – CTJ2099976

10-आवश्यक पक्ष/सहमतिकर्ता/द्वितीयपक्ष का नाम व पता – 1–श्री प्रकाश सिंह रावत, 2–श्री तेज पाल सिंह रावत पुत्रगण स्व0 श्री बलवंत सिंह रावत निवासीगण–270, सुभाष नगर, क्लेमेन्टाउन, देहरादून, उत्तराखण्ड। 3– श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह रावत निवासी–मोहब्बेवाला, देहरादून।
सहमतिकर्ता सं0 1 का आधार सं0 – 7865 3450 1161
सहमतिकर्ता सं0 2 का आधार सं0 – 3427 2278 5978
सहमतिकर्ता सं0 3 का पहचानपत्र सं0 – CTJ2111664

11-उपहारगृहिता/तृतीयपक्ष का नाम – श्री शिवा रावत पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र सिंह रावत 2– श्रीमती रूचि चौहान पत्नी श्री विवेक रावत पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र सिंह रावत निवासीगण– ग्राम चन्द्रबनी खालसा, देहरादून।
उपहारगृहिता सं0 1 का पहचान पत्र नं0 – IBG0302430
उपहारगृहिता सं0 2 का आधार कार्ड नं0 – 5447 7532 9128

12. ई0 स्टाम्प संख्या – **UK36848615211406B**

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK36848615211406P
Certificate Issued Date	:	07-Oct-2017 02:58 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1205604/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120560474131728857379P
Purchased by	:	SHIVA RAWAT AND SMT RUCHI CHAUHAN
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	MAUZA CHANDRABANI KHALSA DEHRADUN
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SMT LAXMI DEVI
Second Party	:	SHIVA RAWAT AND SMT RUCHI CHAUHAN
Stamp Duty Paid By	:	SHIVA RAWAT AND SMT RUCHI CHAUHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	23,250 (Twenty Three Thousand Two Hundred And Fifty only)

41

Att. No.........
PRADEEP KUMAR GUPTA
Stamp [illegible], Lic.No.-67
Court [illegible], Dehra Dun

.....Please write or type below this line.....

0001802419

Scanned with CamScanner

उपहार विलेख

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 श्री रविन्द सिंह निवासी– ग्राम चन्द्रबनी खालसा देहरादून।

..................उपहारदाता / प्रथमपक्ष

1–श्री प्रकाश सिंह रावत, 2–श्री तेज पाल सिंह रावत पुत्रगण स्व0 श्री बलवंत सिंह रावत निवासीगण–270, सुभाष नगर, क्लेमेन्टाउन, देहरादून, उत्तराखण्ड। 3– श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह रावत निवासी–मोहब्बेवाला, देहरादून।

42 ....आवश्यक पक्ष / सहमतिकर्ता / द्वितीयपक्ष

1–श्री शिवा रावत पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र सिंह रावत 2– श्रीमती रूचि चौहान पत्नी श्री विवेक रावत पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र सिंह रावत निवासीगण– ग्राम चन्द्रबनी खालसा, देहरादून।

................उपहारगृहिता / तृतीयपक्ष

जो कि प्रथमपक्ष एक आवासीय सम्पत्ति भाग भूमि खसरा नं0 26 रकबा 164.17 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल 94 वर्गमीटर स्थित मौजा चन्द्रबनी खालसा, परगना पछवादून, जिला देहरादून की एकमात्र स्वामी, काबिज व अधिकारी हैं जिसे अन्यत्र उक्त सम्पत्ति अथवा प्रश्नगत सम्पत्ति कहकर सम्बोधित किया गया है;

जो कि उक्त सम्पत्ति में निहित भूखण्ड की खरीद प्रथमपक्ष, आवश्यक सं0 1 व 2 के पिता श्री बलवंत सिंह रावत व आवश्यक पक्ष सं0 3 से संयुक्त रूप से विक्रय विलेख दिनांक 19.03.1997 द्वारा श्री शेर सिंह पुत्र श्री कुशल सिंह, व श्री धन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी–मोहब्बेवाला, जिला देहरादून से की थी। उक्त विक्रय विलेख

कार्यालय उप–निबन्धक देहरादून में बही नं0 1 जिल्द 3 पृष्ठ 278 ए0डी0फा0 बुक नं0–1 जिल्द 633 पृष्ठ 355 से 386 में दस्तावेज सं0 1181 पर दिनांक 13.04.1997 को पंजीकृत है;

जो कि प्रथमपक्ष, तथा आवश्यक पक्ष/द्वितीयपक्ष का नाम ग्राम चन्द्रबनी खालसा के खाता सं0 146 अनुसार खतौनी 1420 से 1425 फसली में पूर्ण स्वामी के रूप में दर्ज चला आ रहा है;

जो कि श्री बलवंत सिंह उपरोक्त का दिनांक 24.02.2016 को स्वर्गवास हो चुका है उनकी पत्नी श्रीमती गोदाम्बरी देवी का भी श्री बलवंत सिंह के जीवनकाल में पहले ही दिनांक 04.05.2000 को स्वर्गवास हो चुका है श्री बलवंत सिंह ने अपने पीछे द्वितीयपक्ष सं0 1 व 2 तथा श्रीमती सुमन रावत को वारिसों के रूप में छोड़ा इसके अतिरिक्त श्री बलवंत सिंह का अन्य कोई वारिस नहीं है; 43

जो कि प्रथमपक्ष तथा आवश्यक पक्ष सं0 1 व 2 के पिता श्री बलवंत सिंह तथा आवश्यक पक्ष सं0 3 का आपस में घरेलू बंटवारा हो चुका है और उपहार में दी जा रही सम्पत्ति उपहार दाता के हिस्से में आयी थी इस प्रकार प्रथमपक्ष उक्त सम्पत्ति की एक मात्र स्वामी हुई। द्वितीयपक्ष /सहमतिकर्ता उक्त घरेलू बंटवारे की इस विलेख द्वारा पुष्टि करते है और उक्त उपहार विलेख में सहमतिकर्ता के रूप में अपने हस्ताक्षर कर रहे है ;

जो कि श्री बलवंत सिंह ने अपने जीवन काल में दिनांक 08.04.2011 को अपने हिस्से में आयी भूमि खसरा नं0 26 में रकबा 188 वर्गमीटर को अपनी पुत्री श्रीमती सुमन रावत को उपहार में दे दिया है। उक्त उपहार विलेख कार्यालय उप–निबन्धक प्रथम देहरादून के यहां बही नं0 1, जिल्द 3859 पृष्ठ 1 से 26 में नम्बर 2415 पर दिनांक 08.04.2011 को पंजीकृत दर्ज है। श्री बलवंत सिंह के स्वर्गवास के बाद उनके दोनो पुत्रो /आवश्यक पक्ष सं0 1 व 2 में अपने हिस्से मे आयी शेष 54.39 वर्गमीटर भूमि को भी

लक्ष्मी रावत Ruchi

Scanned with CamScanner

अपनी बहन श्रीमती सुमन रावत को उपहार मे दिया उक्त उपहार विलेख कार्यालय उपनिबन्धक तृतीय देहरादून के यहां बही नं0 1 जिल्द 1200 पृष्ठ 203 से 234 में नं0 1201 पर दिनांक 08.03.2016 को पंजीकृत दर्ज है। इस प्रकार श्री बलवन्त सिंह के हिस्से मे आयी सम्पूर्ण भूमि उनकी पुत्री श्रीमती सुमन रावत को उपहार मे प्राप्त हो गई;

जो कि उपहारदाता ने अपने हिस्से में आयी भूमि पर आवासीय निर्माण किया जिसमें तीन शयन कक्ष, एक बैठक, एक रसोई, एक स्टोर, एक स्नानगृह मय शौचालय विद्यमान है;

जो कि उक्त सम्पत्ति हर प्रकार के बन्धनों, विकय बन्धन आदि से मुक्त है तथा प्रथमपक्ष को उक्त सम्पत्ति को उपहार आदि करने के अधिकार प्राप्त हैं; 44

जो कि तृतीयपक्ष सं0 1/उपहारगृहिता प्रथमपक्ष का पुत्र है तथा तृतीयपक्ष सं0 2/उपहारगृहिता सं0 2, प्रथमपक्ष की पुत्रवधु है। प्रथमपक्ष, तृतीयपक्षगण से अत्यधिक स्नेह रखती है। प्रथमपक्ष की हर प्रकार से सेवा उसका पुत्र शिवा रावत व पुत्रवधु श्रीमती रूचि चौहान, उपहारगृहिता करती है। प्रथमपक्ष उसकी सेवाओं से अत्यन्त प्रसन्न है। प्रथमपक्ष ने तृतीयपक्ष को उक्त सम्पत्ति को उपहार में दे दिया हैं और तृतीयपक्ष ने उक्त उपहार को स्वीकर कर लिया है परन्तु प्रथमपक्ष/उपहारदाता को उक्त सम्पत्ति मे जीवन भर रहने का अधिकार होगा तृतीयपक्ष यह अधिकार नही होगा कि वह प्रथमपक्ष /उपहारदाता को उक्त सम्पत्ति से बेदखल कर सके यदि किसी कारण वश तृतीयपक्ष उक्त सम्पत्ति को विकय करते है तो इसके लिये उसे प्रथमपक्ष/उपहारदाता से लिखित अनुमति लेनी होगी;

अतः प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति को, जिसका पूर्ण विवरण लेख पत्र के अन्त में दिया गया है, तृतीयपक्ष को आज उपहार में दे दी है और तृतीयपक्ष ने उपहार को स्वीकार कर लिया है;

लक्ष्मीशक्ति Ruchi

Scanned with CamScanner

फोटोग्राफ एक आवासीय सम्पत्ति भाग भूमि खसरा नं0 26 रकबा 164.17 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल 94 वर्गमीटर स्थित मौजा चन्द्रबनी खालसा, परगना पछवादून, जिला देहरादून

प्रथमपक्ष– श्रीमती लक्ष्मी देवी

द्वितीयपक्ष– 1–श्री प्रकाश सिंह रावत 2– तेजपाल सिंह रावत 3–श्री सतेन्द्र सिंह

तृतीयपक्ष– 1–श्री शिवा रावत 2– श्रीमती रूचि चौहान।

प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष तृतीयपक्ष

Scanned with CamScanner

अतः प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष व तृतीयपक्ष उपहार विलेख के सम्बन्ध में निम्न विवरण उल्लेख करते हैं :–

1. यह कि प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति का कब्जा तृतीयपक्ष को सौंप दिया है। आज से तृतीयपक्ष उक्त सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी, काबिज व हकदार हो गयी है।

2. यह कि तृतीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे प्रयोग एवं उपभोग में लावे, विक्रय बन्धन वगैरह करें, लाभ उठावें, निर्माण करे। कोई व्यक्ति इस उपहार की बाबत किसी प्रकार का कोई झगड़ा तृतीयपक्ष के साथ करे तो उसका झगड़ा व दावा निराधार होगा। यह उपहार पत्र सभी पक्षों को स्वीकार है।

3. यह कि तृतीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह तहसील देहरादून के अभिलेखों में तथा अन्य स्थानीय निकायो के अभिलेखों में उक्त सम्पत्ति की बाबत प्रथमपक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम अंकित करा लेंवे, इसमें प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। 46

4. यह कि तृतीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह उपहार में दी गयी सम्पत्ति की बाबत किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करे, इसमें प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. यह कि द्वितीयपक्ष/सहमतिकर्ता सं0 1 व 2 पहले ही अपनी हिस्से मे भूमि को अपनी बहन सुमन रावत को उपहार मे दे चुके है। श्रीमती सुमन रावत के पक्ष मे निस्पादित उपहार विलेख के पश्चात द्वितीयपक्ष/सहमतिकर्ता सं0 1 व 2 के पास कोई सम्पत्ति शेष नहीं बचती। इसी प्रकार श्रीमती लक्ष्मी देवी के पास प्रस्तुत उपहार विलेख के पश्चात कोई सम्पत्ति शेष नहीं बचती। जो सम्पत्ति बचती

लक्ष्मी रावत

Scanned with CamScanner

है वह द्वितीयपक्ष/सहमतिकर्ता सं0 3 की है। द्वितीयपक्ष/सहमतिकर्ता उक्त उपहार विलेख में सहमतिकर्ता के रूप में हस्ताक्षर कर रहे है और उपहार विलेख के माध्यम से पारिवारिक बटवारे की पुष्टि कर रहे है। ताकि उपहारगृहिता को भविष्य मे किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।

6. यह कि उपहार में दी गयी भूमि सहारनपुर रोड़ से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी ग्राम चन्द्रबनी खालसा पर स्थित है।

7. यह कि प्रथमपक्ष व तृतीयपक्ष आपस में सगे सम्बन्धी हैं, जिस कारण स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से अदा किया जा रहा है।

8. यह कि उपहार में दी गयी सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल 164.17 वर्गमीटर है। जिसमे निर्मित क्षेत्रफल 94 वर्गमीटर है जिसमें तीन शयन कक्ष, एक बैठक, एक रसोई, एक स्टोर, एक स्नानगृह मय शौचालय विद्यमान है। 47

9. यह कि निर्माण 15 वर्ष पुराना है तथा आर0सी0सी श्रेणी का है।

10. यह कि उपहार में दी गयी सम्पत्ति के उत्तर दिशा में 8 फीट चौड़ा रास्ता है जो मुख्य मार्ग से चलकर द्वितीयपक्ष सं0 3 की सम्पत्ति के आगे से होकर जाता है। तृतीयपक्ष को उक्त रास्ते को केवल इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। किसी भी पक्ष को उक्त रास्ते को तंग व बन्द करने का अधिकारी नहीं होगा।

11. यह कि उपहार मे दी गयी सम्पत्ति नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित है उपहारदाता व उपहारगृहिता एक ही परिवार के सदस्य है। जिस कारण प्रस्तुत हस्तांतरण से उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 29 वर्ष 2009 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

लक्ष्मी रावत

Ruchi

Scanned with CamScanner

12. यह कि स्टाम्प शुल्क हेतु मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जा रहा है:-

अ-भूमि का क्षेत्रफल 164 X 5400 =8,86,518/- रूपये

आ-निर्माण का मूल्यांकन 94 X 15,000 X 0.860= 14,10,080/- रूपये

इ- कुल मूल्यांकन मु0 8,86,518 + 14,10,080= 22,97,598/- अर्थात 22,98,000/- रूपये

ई- मु0 22,98,000/- पर 1% की दर से स्टाम्प शुल्क मु0 22,980/- रूपये

उ-आवश्यक पक्ष हेतु स्टाम्प शुल्क मु0 250/-

ऊ-कुल स्टाम्प शुल्क मु0 22,980+250=23,230/- रूपये अर्थात 23,250/-रूपयें का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। 48

13. यह कि प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष व तृतीयपक्ष में उसके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न आदि शामिल समझे जायेंगे।

विवरण सम्पत्ति

एक आवासीय सम्पत्ति भाग भूमि खसरा नं0 26 रकबा 164.17 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल 94 वर्गमीटर स्थित मौजा चन्द्रबनी खालसा, परगना पछवादून, जिला देहरादून जिसकी सीमाये व नाप इस प्रकार से है:-

उत्तर में- सम्पत्ति श्री सत्येन्द्र सिंह रावत व 8 फीट चौडा रास्ता, सीमा मे नाप 40 फुट 6 इंच।

दक्षिण में- सम्पत्ति श्री शेर सिंह बिष्ट सीमा में 39 फीट 10 इंच।

पूरब में- सम्पत्ति श्री बृज मोहन सिंह रावत, सीमा मे 44 फीट।

पश्चिम में- सम्पत्ति श्री कुलदीप राणा, सीमा मे नाप 44 फीट।

[कृष्णा रावत]

Scanned with CamScanner

अतः यह उपहार विलेख पक्षों द्वारा स्वस्थ मन एवं बुद्धि से पढ़कर, सुनकर व समझकर बिना किसी दबाव के गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। इतिलिखित दिनांक 07.10.2017।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32—ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

उपहारदाता/प्रथमपक्ष का नाम व पता : श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 श्री रविन्द्र सिंह निवासी— ग्राम चन्द्रबनी खालसा देहरादून।

49

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

लक्ष्मी रावत

उपहारदाता/प्रथमपक्ष के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

आवश्यकपक्ष / सहमतिकर्ता सं0 1 का नाम–श्री प्रकाश सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री बलवंत सिंह रावत निवासी –270, सुभाष नगर, क्लेमेन्टाउन, देहरादून, उत्तराखण्ड।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

आवश्यक पक्ष / सहमतिकर्ता सं0 1 के हस्ताक्षर

आवश्यकपक्ष / सहमतिकर्ता सं0 2 का नाम–श्री तेज पाल सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री बलवंत सिंह रावत निवासी–270, सुभाष नगर, क्लेमेन्टाउन, देहरादून, उत्तराखण्ड।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

आवश्यक पक्ष / सहमतिकर्ता सं0 2 के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

आवश्यकपक्ष/सहमतिकर्ता सं0 3 का नाम–श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह रावत निवासी– ग्राम चन्द्रबनी खालसा देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

आवश्यक पक्ष/सहमतिकर्ता सं0 3 के हस्ताक्षर

S/

उपहारगृहिता/तृतीयपक्ष सं0 1 का नाम व पता – श्री शिवा रावत पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र सिंह रावत निवासी – ग्राम चन्द्रबनी खालसा, देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

उपहारगृहिता/तृतीयपक्ष सं0 1 के हस्ताक्षर

उपहारगृहिता / तृतीयपक्ष सं0 2 का नाम व पता – श्रीमती रूचि चौहान पत्नी श्री विवेक रावत पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र सिंह रावत निवासी – ग्राम चन्द्रबनी खालसा, देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

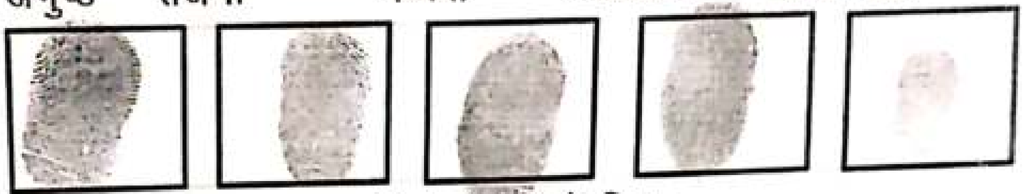

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

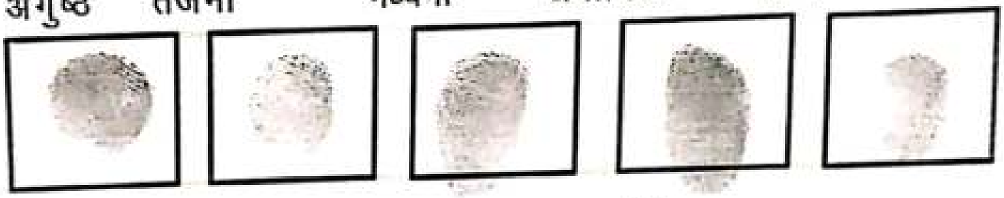

52

उपहारगृहिता / तृतीयपक्ष सं0 2 के हस्ताक्षर

साक्षी 1–........................
आयुष रावत
पुत्र श्री प्रकाश सिंह रावत
नि0 270, कृष्णा मार्केट,
सुभाष नगर देहरादून।
आधार नं0 7983 8540 3304

साक्षी 2–........................
सुरजन सिंह
पुत्र श्री मातबर सिंह चौहान
नि0 मटियालाना सेरा,
जिला पौडी गढवाल।
आधार नं0 6598 5767 8930

रचियता– **श्री कुलदीप जायसवाल**, एडवोकेट, देहरादून।
कम्प्यूटर टाईपिंग– **गंगा मीडिया टैक**, 12–बी, कचहरी रोड, देहरादून।

बही संख्या 1 जिल्द 1,841 के पृष्ठ 353 से 386 पर क्रमांक 5253

पर आज दिनांक 07 Oct 2017 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,देहरादून,तृतीय
07 Oct 2017

Scanned with CamScanner

चित्र एक आवासीय सम्पत्ति भाग भूमि खसरा नं0 261म0 रकबा 164.17 [illegible]
वर्गमीटर स्थित मौजा, चन्द्रबनी खालसा, देहरादून।

प्रथमपक्ष – श्रीमती लक्ष्मी देवी
द्वितीयपक्ष – 1–श्री प्रकाश सिंह रावत, 2–श्री तेजपाल सिंह रावत, 3–श्री सतेन्द्र सिंह
तृतीयपक्ष – 1–श्री शिवा रावत, 2–श्रीमती रूचि चौहान

उपहार में दी गयी सम्पत्ति लाल रंग की रेखाओं से दर्शायी गयी है।

बिना परिमाप

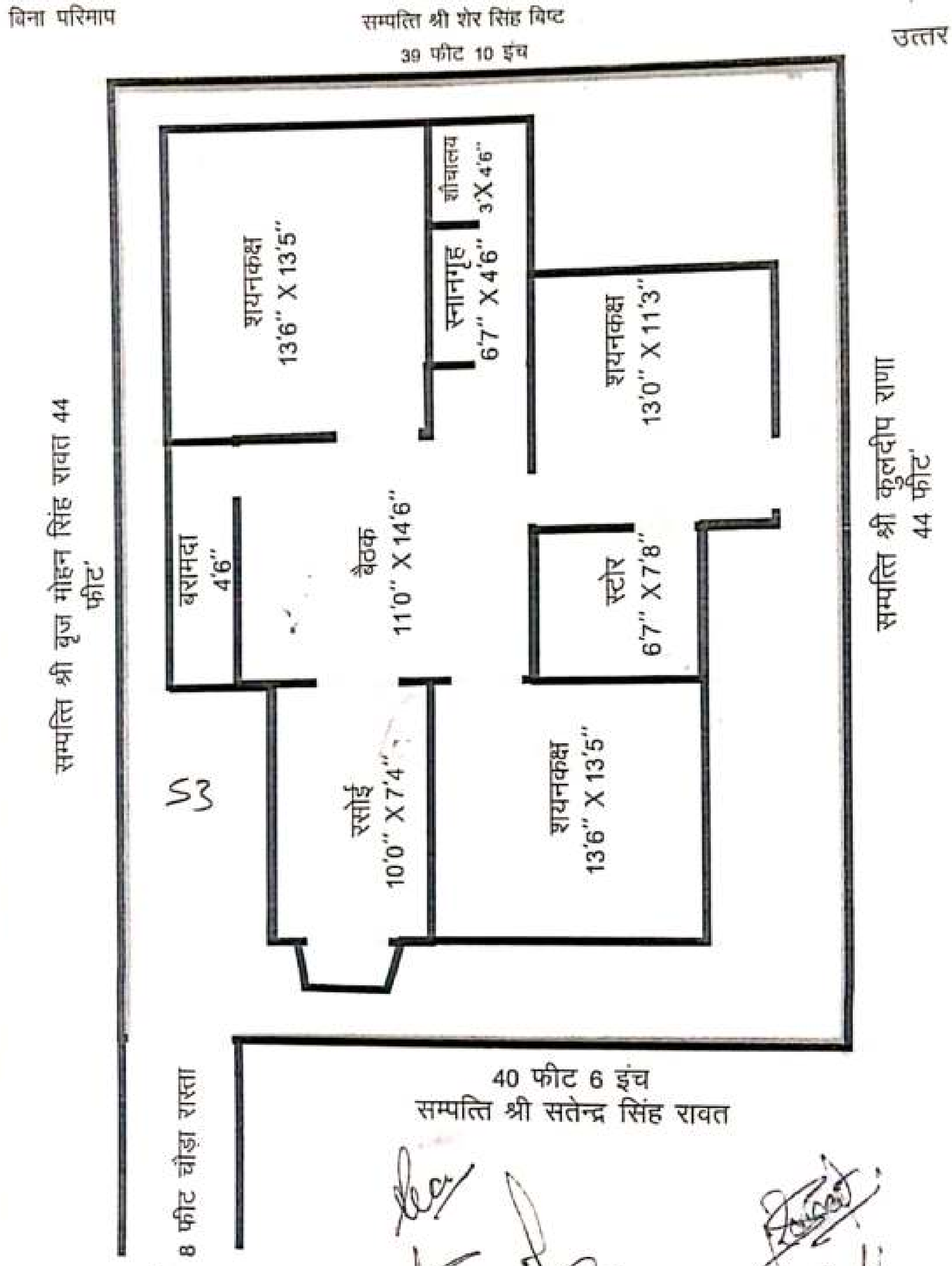

ह0 प्रथमपक्ष

ह0 द्वितीयपक्ष

ह0 तृतीयपक्ष

Scanned with CamScanner

वही संख्या 1 जिल्द 1,841 के पृष्ठ 353 से 386 पर क्रमाक 5253

पर आज दिनांक 07 Oct 2017 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,देहरादून,तृतीय
07 Oct 2017

Scanned with CamScanner